क्रम-संख्या—774

14

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्सड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 15 अक्तूबर, 1988

आश्विन 23, 1910 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1972/सत्रह—वि-1—1(क)-15-1988

लखनऊ, 15 अक्तूबर, 1988

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदार नाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1988 पर दिनांक 15 अक्तूबर, 1988 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1988 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) अधिनियम, 1988

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1988]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) अधिनियम, 1988 कहा जायगा।

(2) यह 17 अगस्त, 1988 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 16 सन् 1939 की धारा 11 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 11 में, उपधारा (2-क) में, शब्द "छः मास के भीतर" के स्थान पर शब्द "31 दिसम्बर, 1988 तक" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) अध्यादेश, 1988 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 1988

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
श्रीनाथ सहाय,
सचिव।

No. 1972(2)/XVII-V-1—1/(KA)15-1988

Dated Lucknow, October 15, 1988

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Shri Badrinath Tatha Shri Kedarnath Mandir (Sanshodhan) Adhiniyam, 1988 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 19 of 1988) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 15, 1988 :

THE UTTAR PRADESH SHRI BADRINATH AND SHRI KEDARNATH TEMPLES (AMENDMENT) ACT, 1988

[U. P. Act no. 19 of 1988]

(As passed by the U. P. Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temples Act, 1939

It is hereby enacted in the Thirty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temples (Amendment) Act, 1988.

(2) It shall be deemed to have come into force on August 17, 1988.

Amendment of section 11 of U.P. Act no. 16 of 1939

2. In section 11 of the Uttar Pradesh Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temples Act, 1939, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (2-A), *for* the words "of six months" the words "ending with December 31, 1988" shall be *substituted* and shall be deemed always to have been *substituted*.

Repeal and saving

3. (1) The Uttar Pradesh Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temples (Amendment) Ordinance, 1988, is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 10 of 1988

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
S. N. SAHAY,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 119 सा० (विधा०)—(1782)—1988—850 (मेक०)।